# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3851–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–11–2015 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल अपील प्रकरण कमांक 18/अपील/2014–15.

कालूराम आत्मज स्व0श्री हरिसिंह
निवासी ग्राम गेहूँखेड़ा तहसील हुजूर,
जिला भोपाल म0प्र0 .....आवेदक

**विरूद्ध**

श्रीमती राजश्री राजपूत पत्नि विजय सिंह
निवासी ई–52 राजहर्ष कॉलोनी कोलार रोड,
तहसील हुजूर भोपाल म0प्र0 .....अनावेदक

श्री अजयसिंह ठाकुर, अभिभाषक, आवेदक

श्रीमती शशि वर्मा, अभिभाषक, अनावेदक

## :: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/10/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी हुजर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार हुजूर जिला भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम गेहूँखेड़ा स्थित भूमि सर्वे नम्बर 425/1/5 रकबा 0.090 हेक्टेयर तथा सर्वे नम्बर 425/1/6 रकबा 0.150 हेक्टेयर कुल रकबा 0.240 हेक्टेयर के सभी भूमिस्वामी है उसके द्वारा दिनांक 23–1–12 को सीमांकन कराये जाने पर ज्ञात हुआ कि उसकी भूमि में स्थित प्लाट कमांक 47 एवं 33 पर आवेदक द्वारा अवैध कब्जा किया

गया है, अतः कब्जा दिलाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–70/13–14 दर्ज कर दिनांक 3–5–2014 को आदेश पारित कर अनावेदिका का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रचलित रहने के दौरान आवेदक द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–11–2015 को आदेश पारित कर निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका की ओर से संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील मेमों में पक्षकार के असंयोजन का दोष है, क्योंकि आवेदक के अतिरिक्त 37 अन्य आधिपत्यधारी है जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। यह भी कहा गया कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार के समक्ष मध्यप्रदेश शासन सिंचाई विभाग को भी पक्षकार बनाना था, ऐसी स्थिति में पक्षकार के असंयोजन के कारण तहसीलदार द्वारा अनावेदिका का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदिका द्वारा राजस्व न्यायालयों से जो अनुतोष चाहा जा रहा है, उसी के संबंध में वाद कमांक 1072–ए/14 प्रचलित है, इसलिये राजस्व न्यायालयों द्वारा कार्यवाही की जाना उचित नहीं होने से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रचलन योग्य नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 425/1/2 रकबा 70 डेसीमिल पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 2–11–2010 को नामान्तरण आदेश पारित कर आवेदक सहित 37 अन्य लोगों का नामान्तरण स्वीकृत किया गया है और नामान्तरण आदेश को चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वह अंतिम हो गया है, ऐसी स्थिति में भी तहसीलदार द्वारा अनावेदिका का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही उचित नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन बिना अक्श में बटांन किये किया गया है अतः ऐसे सीमांकन के आधार पर संहिता की धारा 250 के आधार पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है इसलिये भी तहसीलदार द्वारा अनावेदिका का आवेदन पत्र निरस्त

करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका मौके पर बटांन नहीं करना चाहती है और केवल मौके पर कार्यवाही कराना चाहती थी । आवेदक मौके पर प्रश्नाधीन भूमि पर काबिज है । अनावेदिका द्वारा जो पंजीकृत विक्रय पत्र प्रस्तुत किये गये हैं उसमें चतुर्सीमा नहीं दर्शाई गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आये दिन आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जा रहे है ताकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में कार्यवाही नहीं की जा सके, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) तहसीलदार के समक्ष आवेदक व अन्य 37 लोगों द्वारा स्वयं ही उपस्थित हुये हैं और उनके द्वारा आयुक्त के समक्ष प्रकरण अन्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि निरस्त हुआ है ।

(3) आवेदक द्वारा दोषी मंशा से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष कार्यवाही लंबित रखने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि से कालूराम एवं अन्य के नाम विलोपित हो चुके है और भूमि सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी है जिसका मुआवजा भी कालूराम के पूर्वज प्राप्त कर चुके हैं, इसलिये प्रश्नाधीन भूमि की अनावेदिका एकमात्र भूमिस्वामी है, अतः अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रचलन योग्य है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करने के उद्देश्य से आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है ।

(6) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान मूल प्रकरण में लागू होते है, अपील प्रकरण में नहीं।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि संहिता की धारा 250 के प्रकरण में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले को यह तय करना होता है कि उसे किसके विरूद्ध किससे अनुतोष चाहिये, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, क्योंकि अनावेदक को जिसके विरूद्ध अनुतोष चाहिये था उसे उसके द्वारा पक्षकार बनाया गया है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, हुजर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–11–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर